"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 475] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर 2015—— आश्विन 4, शक 1937

संचालनालय नगर ग्राम निवेश
इंद्रावती भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2015

बलरामपुर विकास योजना (प्रारूप) 2031 के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक /85/DP-116/नग्रानि/2015. — एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बलरामपुर निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार प्रकाशित किया गया है और उसकी प्रति कलेक्टर कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बलरामपुर एवं सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर के कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़ कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. दिनांक 26-09-2015 से नगरपालिका परिषद्, बलरामपुर के मीटिंग हॉल में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, प्रारूप विकास योजना की प्रति प्रदर्शनी स्थल पर शुल्क अदायगी करने पर प्रदाय होगी.

उक्त प्रारूप योजना की विशिष्टियां नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है.

उक्त प्रारूप विकास योजना के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे उक्त स्थलों पर छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि समाप्त होने के पूर्व भेजा जाना चाहिए.

अनुसूची

(क) भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बंधी मानचित्र तथा उसके बारे में वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(ख) प्रारूप योजना के उपबन्धों को स्पष्टीकरण करने वाली मानचित्रों तथा चार्टों द्वारा प्रमाणित की गई वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(ग) प्रारूप विकास योजना की क्रमावस्था को उपदर्शित करने वाला तथा ऐसी रीति कथित करने वाला टिप्पण जिसमें विकास करने हेतु अनुज्ञा अभिप्राप्य की जाना है.

(घ) लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन के खर्चों तथा योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वलित कार्यों के खर्चे का समुचित प्राक्कलन उपदर्शित करने वाला टिप्पण.

हस्ता./-
(एस. के. एस. परदेशी)
आयुक्त-सह-संचालक.

Naya Raipur, the 26th September 2015

Notice of Publication of Balrampur Development Plan (Draft) 2031

No./85/DP-116/T&CP/2015. — Notice is hereby given that the draft of development plan for Balrampur Planning Area has been published in accordance with the provision of sub-section (1) of Section 18 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) a copy thereof is available for inspection at the office of the Collector Balrampur-Ramanujganj, Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Balrampur and Asstt. Director, Town & Country Planning, Regional Office Ambikapur during office hours except holidays. An exhibition is also organized from 26-09-2015 at Meeting Hall, Nagar Palika Parishad, Balrampur, copies of the draft plan (Report) will be supplied on payment at the venue of exhibition.

The particulars of the said draft plan have been specified in the Schedule below.

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft plan, it should be sent to the above places before the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice in the Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

(a) Existing land use map and narrative report.

(b) Narrative report explaining the provision of the draft development plan supported by maps and charts.

(c) Note indicating phasing of implementation of the draft plan and stating the manner in which permission to development to be obtained.

(d) Note indicating an appropriate estimate of the cost of land acquisition for public purposes and the cost of works involved in the implementation plan.

Sd/-
(S. K. S. Pardeshi)
Commissioner-cum-Director.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.